संख्याः 905/XIII/07

प्रेषक,

विभा पुरी दास,
प्रमुख सचिव एवं वन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. निबन्धक, सहकारी समितियाँ,
उत्तराखण्ड देहरादून।

2. कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड देहरादून।

कृषि एवं विपणन अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांक 20 जून, 2007

विषयः सहकारी संस्थाओं के माध्यम से विक्रय किये जाने वाले जैव उर्वरक, सूक्ष्म पोषक तत्व, मृदा सुधारक, जैव कीटनाशी, खरपतवारनाशी, हरीखाद के बीजों पर किसानों को अनुदान की अनुमन्यता के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु कृषकों को व्यापक रूप से कृषि निवेशों यथा जैव उर्वरकों, सूक्ष्म पोषक तत्व उर्वरकों, जैव कीटनाशी, खरपतवारनाशी रसायनों, हरीखाद फसल के बीजों आदि की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु कृषि विभाग द्वारा सहकारिता विभाग की सहकारी समितियों के माध्यम से इन निवेशों के वितरण के लक्ष्य सहकारी समितिवार निबंधक सहकारी समिति एवं कृषि निदेशक के मध्य परस्पर सहमति के आधार पर तय किये जायेंगे। कृषि विभाग द्वारा तये किये लक्ष्यों के अनुरूप अनुदान पूर्व से बीजों के वितरण में चली आ रही प्रक्रियानुरूप सहकारिता विभाग को जिलेवार उपलब्ध करायेंगे। इस हेतु कृषि निदेशक समय से बजट प्राविधान कराना एवं वित्तीय स्वीकृतियाँ निर्गत कराना सुनिश्चित करें।

भवदीया,

(विभा पुरी दास)
प्रमुख सचिव एवं वन
एवं ग्राम्य विकास आयुक्त,

संख्या 905/XIII/07 20.6.07 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन
3. सचिव, सहकारिता, उत्तराखण्ड शासन
4. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
5. निजी सचिव, मा० कृषि मंत्री, उत्तराखण्ड।
6. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

आज्ञा से,

(ओम प्रकाश)
सचिव